आदेश की क्रम और तारीख 01	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित 03
25/7/23	**–: आ दे श :–** आवेदक–संतोष कुमार शर्मा, पिता–स्व0 नंदलाल शर्मा, ग्राम–ताँतीपाड़ा, पाकुड़ द्वारा अंचल अधिकारी, पाकुड़ के दाखिल खारिज वाद सं0–3036R 27/2018–19 आदेश दिनांक–09.09.2019 में खाता सं0–20 के स्थान पर 58 दर्ज हो जाने का हुए त्रुटि सुधार हेतु आवेदन पर अंचल अधिकारी, पाकुड़ से कार्यालय पत्रांक–491/भू0सु0, दिनांक–01.07.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, पाकुड़ के पत्रांक–929/रा0, दिनांक–21.07.2023 द्वारा राजस्व उप– निरीक्षक/अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन के साथ प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, पाकुड़/राजस्व उप–निरीक्षक/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार संतोष कुमार शर्मा व सनातन शर्मा व श्याम कुमार शर्मा व सुनिल कुमार शर्मा व घनश्याम शर्मा सभी के पिता–स्व0 नन्दलाल शर्मा के नाम से दाखिल खारिज वाद सं0–3036/2018–19 के द्वारा मौजा– पियादापुर नं0–121, खाता सं0–58, दाग नं0–146 रकवा–18.0165 डिसमील तथा दाग नं0–137 रकवा–66.1157 डिसमील भूमि का नामान्तरण किया गया है। मौजा–पियादापुर नं0–121 की जाँच करने पर दाग नं0–137, खाता सं0–20 में दर्ज है, जबकि नामान्तरण वाद सं0–3036/2018–19 में दाग सं0–137 का नामान्तरण त्रुटिवश खाता सं0–58 में कर दिया गया है। नामान्तरण वाद सं0–3036/2018–19 में दाग नं0–137 का खाता सं0–58 के स्थान पर खाता सं0–20 सुधार हेतु राजस्व उप–निरीक्षक/अंचल निरीक्षक द्वारा अनुशंसा की गई है, जो अंचल अधिकारी, पाकुड़ से त्रुटि सुधार हेतु प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी, पाकुड़/राजस्व उप–निरीक्षक/अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर नामान्तरण वाद सं0–3036/2018–19 में दाग नं0–137 के खाता सं0–58 के स्थान पर सुधार कर खाता सं0–20 दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है। अंचल अधिकारी, पाकुड़ स्वयं पंजी–2 का अवलोकन कर सुधार करेंगे। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, पाकुड़ को भेजे। **लेखापित एवं संशोधित,** 25.7.23 भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, पाकुड़। 25.7.23 **भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, पाकुड़।**	

Digitally signed by HARI BANSH PANDIT
Date: 2023.07.31 16:58:41 +05:30
Location: 10.93.53.10